विकास कार्यक्रम के अधीन ऋण दिया जा सकता है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है और यदि नहीं तो उसके क्या कारण हैं ?

कृषि मंत्रालय में ग्रामीण विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री रामानन्द यादव): (क) और (ख) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतगत प्राथमिक, तथा द्वितीय तथा तृतीय क्षेत्रों में आय सृजित करने वाले कार्य करने के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में 4800 रुपये वार्षिक से कम आय वाले पात्र परिवारों को सहायता दी जाती है। समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अंतर्गत ग्रुप हाउसिंग सोसाइटियों को मकान बनाने के लिए कोई सहायता नहीं दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कार्यक्रम का उद्देश्य पात्र परिवारों को आय सृजित करने वाली परिसंपत्तियां प्रदान करना है।

विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन खाद्यान्न सहायता

3322. **श्री राम चन्द्र विकल :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान विश्व खाद्य कार्यक्रम के अधीन कितनी मात्रा में खाद्यान्न की सहायता प्राप्त हुई है ; और

(ख) अगले वित्तीय वर्ष के दौरान ऐसी सहायता कितनी मात्रा में प्राप्त होने की संभावना है ?

कृषि मंत्रालय में कृषि और सहकारिता विभाग में राज्य मंत्री (श्री योगेन्द्र मकवाणा): (क) एक विवरण संलग्न है। **[नीचे देखिये]**

(ख) आगामी वित्तीय वर्ष–एक अप्रैल, 1987 से 31 मार्च, 1988 के दौरान भारत में परियोजनाओं को विश्व खाद्य कार्यक्रम के जरिए प्रदान की जाने वाली खाद्य जिंसों की सहायता के प्रक्षेपण निम्न प्रकार हैं :–

(मीटरी टन में)

जिंस	मात्रा
गेहूं/चावल	63,000
सोयाबीन पुष्टीकारक	
बुलगर गेहूं	25,000
दालें	5,500

विवरण

विश्व खाद्य कार्यक्रम के तहत 1984–85, 1985–86 और 1986–87 (नवम्बर, 1986 तक) के दौरान प्राप्त की गई खाद्य सहायता

(मात्रा मीटरी टन में)

जिंस	1984–85	1985–86	1986–87 (नवम्बर, 1986 तक)
गेहूं	32,100	24,076	5,020
चावल	—	2,000	500
दालें	1,500	2,050	1,056
सोयाबीन पुष्टीकारक			
बुलगर गहूं	14,576	36,914	13,240